

हेठले के पुनर्वास हेतु जिला स्तरीय समन्वय बैठक संचालित। इस बैठक को दोपहर ६:०० बजे तक कक्षय अधिकारी या उपर्युक्त विभाग ने दो प्राप्तिकारक वर्गों की आवश्यकता में चक्र एवं नहने वाली वर्गों के बीच एवं एक समाजिक हेतु बिहार लोगों ने समन्वय बैठक का आयोजन द. डॉ. आर. एस. विला विधायिक बड़े प्राप्तिकारक जिला नवाचाल परिवर्त छब्बी वाले वाले हैं।

हरदा में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक आयोजित बच्चों से संबंधित 400 मामलों में हुई सुनवाई

प्रदेश टुडे, राजदयाता, हरदा।

एकांक बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अधीन विकास बान्धव एवं शास्त्रीय दो बाल एवं जातीय नियंत्रण बोर्ड में बच्चों से संबंधित समनावर्ती वृक्षों और उनके प्राप्तिकारक के लिए अधिकारियों को दिनांकित हुआ। इस अवसर पर बन्धविन बाल की आवश्यकीय व्यवस्था के लाल देख के 75 विनाये एवं एकांक बाल अधिकार संरक्षण आयोग संसदीय दोषों के साथ बाल आयोग के वायर विवर का व्यवस्थावाल अवधि के बाक्सों से उड़ाक गवाने में सुनवाई दी गई है। इस विषय परिवार दास बाल आयोग के एवं बन्धव द्वारा दी गई, कोरोना वाले गंभीर, एवं बालों वाले आयोग ने उपरांत दी गई। इस अपारा पर वित्ती के बालों से संबंधित सालाप 400 ज्ञानवार्षों में अधिक दे सुनवाई हो। उड़ाक विषय क्षमता की तात्पुरता एवं अन्य अधिकारक विकास बाल आयोग की लिए अवधि के लिए बन्धविन के लिए आयोग का आयोग विद्यार्थी की द्वारा एवं अधिकारिक दोषों की बड़ी दृष्टि दिया कर राजा की आवश्यकता से बदली है। उड़ाक गवाने में विवर के अवसरा की आवश्यकता बदली हो रही है।



बैठक वाली की समाप्तियों का बताया गया एवं भ्रमी विवरण किया गया है। उपर्युक्त बाल आयोग की लिए बन्धविन के लिए आयोग का आयोग एवं बिला। इस लोगों वाला बन्धव एवं बन्धविन का विला गया। इस लोगों वाला बन्धव एवं बन्धविन का विला गया। इस लोगों वाला बन्धव एवं बन्धविन का विला गया। इस लोगों वाला बन्धव एवं बन्धविन का विला गया। इस लोगों वाला बन्धव एवं बन्धविन का विला गया। इस लोगों वाला बन्धव एवं बन्धविन का विला गया।

उड़ाक गवाने के अवसरा की आवश्यकता से बदली हो रही है। उड़ाक विषय के अवसरा की आवश्यकता बदली हो रही है। उड़ाक विषय के अवसरा की आवश्यकता बदली हो रही है। उड़ाक विषय के अवसरा की आवश्यकता बदली हो रही है। उड़ाक विषय के अवसरा की आवश्यकता बदली हो रही है।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैठक

बैच में लगभग चार सौ मामलों
में सुनवाई की गई

नवभारत न्यूज़

हरदा, 24 सितंबर। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बैच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बैच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। कार्यक्रम में पृथ्वी प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में



आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को क्लील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।

इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गार्ग ने कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है।

अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

स्कूलों में बच्चों की बैग पॉलिसी का नहीं हो रहा पालन



प्रदेश टुडे, संवाददाता, हरदा।

बाल कल्याण अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में जिले की टिमरनी नगर परिषद के पार्षद सुनील दुबे ने शनिवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को आवेदन सौंपा। इस आवेदन के माध्यम से पार्षद श्री कानूनगो ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी बनाई गई है। किंतु टिमरनी ब्लॉक की किसी भी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल में उपयुक्त पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि टिमरनी ब्लॉक की प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकंडरी सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को नियमानुसार भूतल, प्रथम तल या द्वितीय तल कहाँ कक्षाएं संचालित हो सकती हैं। उपयुक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका क्रियान्वयन करवाने की मांग भी की गई है।

कोई भी स्कूल संचालक नहीं कर रहे बैग नीति का पालन

टिमरनी, (नवदुनिया न्यूज)। वाल कल्याण अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में पार्षद सुनील दुवे ने राष्ट्रीय वाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानून गो को आवेदन दिया। जिसमें कहा कि स्कूल शासन विभाग द्वारा स्कूल बैग पालिसी बनाई गई है, लेकिन टिमरनी विकासखण्ड में किसी भी शासकीय-अशासकीय स्कूल में उपयुक्त पालिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कर्रवाई हो रही है या नहीं, इस ओर ध्यान दिया जाए। प्राथमिक माध्यमिक, हाईस्कूल, हाई सेकंडरी, शासकीय-अशासकीय स्कूलों में स्कूल संचालन प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है, प्राथमिक व माध्यमिक शासकीय एवं

अशासकीय स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को नियमानुसार भूतल, प्रथम तल या द्वितीय तल कहा कक्षाएं संचालित हो सकती है। उपयुक्त बिंदुओं को दृष्टि गत रखते हुए उनका क्रियान्वयन करवाने की मांग की गई।

मांगरूल पंचायत ने मवेशियों को पकड़ा

हंडिया। ग्राम पंचायत मांगरूल में शनिवार को वेसहारा मवेशियों को पकड़ा गया। गांव से मवेशी लेकर 5 किलोमीटर दूर हंडिया में छोड़कर चले गए। वहाँ दूसरी ओर हंडिया ग्राम पंचायत द्वारा सभी मवेशियों को वापिस मांगरूल की ओर छोड़ा गया।



राष्ट्रीय वाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष को आवेदन देते पार्षद। ● नवदुनिया



स्कूलों में बच्चों की बैग पॉलिसी का नहीं हो रहा पालन



प्रदेश टुडे, संवाददाता, हरदा।

बाल कल्याण अधिकारों के क्रियान्वयन के संबंध में जिले की टिमरनी नगर परिषद के पार्षद सुनील दुबे ने शनिवार को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो को आवेदन सौंपा। इस आवेदन के माध्यम से पार्षद श्री कानूनगो ने कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बैग पॉलिसी बनाई गई है। किंतु टिमरनी ब्लॉक की किसी भी शासकीय एवं अशासकीय स्कूल में उपयुक्त पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। उन्होंने बताया कि टिमरनी ब्लॉक की प्राथमिक, माध्यमिक, हाईस्कूल, हायर सेकंडरी सरकारी एवं निजी स्कूलों में प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है। प्राथमिक एवं माध्यमिक स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विद्यार्थियों को नियमानुसार भूतल, प्रथम तल या द्वितीय तल कहाँ कक्षाएँ संचालित हो सकती हैं। उपयुक्त बिंदुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनका क्रियान्वयन करवाने की मांग भी की गई है।

कानूनगो ने समस्याओं के निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिए निर्देश

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेच में लगभग 400 मानलों में सुनवाई की गई

हार्टिग्रुप ब्यूज़ भाइट्स

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने सचिवाल की हारदा में आयोग की बेच में बच्चों में संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अपूर्ण महोल्डर के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश गुजरात बाल आयोग के सदस्य द्वारा भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को बौल चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।



इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि मग्न ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाली हो रही है, और बच्चों की समस्याओं का भीके पर ही निराकरण किया जा रहा है। इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सेवाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी यहिला एवं बाल विकास विभाग संचय विधायी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रेली को हरी झंडी दिखाकर रखना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदानी का अवलोकन भी किया। इससे पुरुष कार्यक्रम का शुभारंभ मा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप घञ्जलित कर किया गया।

दुनिया का सबसे बेस्ट कानून है पॉक्सो एक्ट

जल्दी का जो पॉक्सो कानून है वह दुर्लिख के सबसे बेस्ट और प्रस्तुती तथ्यज्ञों में से एक है। इस प्रकार से राष्ट्रीय प्रतिरक्षण में प्रकाश रहने हैं उनके लिए मुख्यमंत्री से कम कोई प्रतिक्रिया होना टॉन्की वाहिया। पॉक्सो स्वास्थ बाल की मुद्रा के लिए और अपार्यागीकरण के लिए गहरा जलवायल है। इनके जालाज़ समाज ने अवश्यक लक्ष भी बहुत जल्दी ही। इह प्रकार तो लक्ष्यात् प्रवर्तित हो रही है जो विवरक है। उनकी गोकरण के लिए इन लालूक तर तेज़ी से पराइ होता जान्दी है। आयोग से राष्ट्रीय विधि जालाज़ प्रविधिकरण के लिए जिलाकार परिवर्ती के प्राप्तरूप ट्रैक

रह रहे। इसकी प्रक्रिया द्वारा लालू कुछ दिनों पुरा हो दूँगा है। जल्दी यह पैटेल प्रामाणी दूँज से लालू करेगा। बाल मजदूरी को रोकने के लिए भी आयोजित लक्ष्यात् प्रवर्तन कर रहा है। बाल मजदूरी करने के पीछे जो कारण है उस कारणों के फैले दूर करे उनके लिए हल्का लक्ष्यात् प्रवर्तन कर रहे हैं। बच्चे जो गैंग जंगवाला लालूही आज्ञा है उनके लिए भी प्राप्त किया जा रहा है कि इह सामाजिक दूरी को बढ़ावा दें कियर जा सके। लालूरिया लालूराम ले गाजरवाल और बुजुर्गात की सोना पर एक बैठक कर तो किया है कि वह अब बड़ी से बड़ी वर्तमान का काम करी करेंगे।



राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में 400 मामलों में सुनवाई की गई

हरदा ■ राज न्यूज नेटवर्क

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए।

इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए।



इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है, और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने हरदा में आयोग की बेंच आयोजन के लिए आयोग का आभार प्रकट किया।

इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार

शर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रखाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच में लगभग 400 मामलों में सुनवाई की गई

स्वतंत्र समय, हरदा।

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बेंच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित



प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बेंच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों मैं सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल

आयोग के सदस्य द्विविद मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में

दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गांग ने संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है, और बच्चों की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने हरदा में आयोग की बेंच आयोजन के लिए

आयोग का आभार प्रकट किया। इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सैयाम जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग संजय त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैच में 400 मामलों में सुनवाई हुई

दिव्यांग बच्चों को बील चेयर सहित अन्य उपकरण प्रदान किए गए



कृषि मंत्री कमल पटेल से की सौजन्य मुलाकात

जागरण, हरदा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने शनिवार को हरदा में आयोग की बैच में बच्चों से संबंधित समस्याएं सुनी और उनके निराकरण के लिए उपस्थित अधिकारियों को निर्देश दिए। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि आजादी के अमृत महोत्सव के तहत देश के 75 जिलों में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग संबंधित प्रदेश के राज्य बाल आयोग के साथ बैच का आयोजन कर बच्चों से जुड़े मामलों में सुनवाई कर रहा है। इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य बाल आयोग के सदस्य द्रविंद्र मोरे भी उपस्थित थे। इस अवसर पर बच्चों से संबंधित लगभग 400 प्रकरणों में आयोग ने सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को बील चेयर और अन्य आवश्यक उपकरण वितरित किए गए। इस अवसर पर कलेक्टर ऋषि गग्न ने संबंधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बैच के आयोजन से बच्चों से जुड़े मामलों में त्वरित कार्यवाही हो रही है और बच्चों की समस्याओं का भौके पर ही निराकरण किया जा रहा है। उन्होंने हरदा में आयोग की बैच आयोजन के लिए आयोग का आभार प्रकट किया। इस दौरान अपर कलेक्टर जेपी सीयाम, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राम कुमार शर्मा, जिला कार्यक्रम अधिकारी

महिला एवं बाल विकास विभाग संबंध त्रिपाठी व अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। इस दौरान आयोग के अध्यक्ष श्री कानूनगो ने पोषण माह में आयोजित रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल पर लगाई गई पोषण प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इससे पूर्व कार्यक्रम का शुभारंभ मा सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित कर किया गया।

स्कूल बेग पॉलिसी का शासकीय-अशासकीय स्कूलों में नहीं हो रहा पालन, आयोग अध्यक्ष को सौंपा आवेदन

जागरण, टिमरनी। बाल कल्याण अधिकारों के किटान्डान के संबंध में पार्श्व मुनील दुबे ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अद्यता प्रियंक कानूनगो को आवेदन सौंपा। जिसमें कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा स्कूल बेग पॉलिसी बनाई गई है, किंतु टिमरनी विकासवाद में किसी भी शासकीय, अशासकीय स्कूल में उपरोक्त पॉलिसी के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। इस संबंध में जिला शिक्षा विभाग द्वारा कोई कार्रवाई हो रही है तो नहीं इस और टान दिया जाये। पार्श्वमिक माटामिक, हाईस्कूल, हाई सेकेडी, शासकीय-अशासकीय स्कूलों में स्कूल संचालन प्रतिदिन कितना समय लियारित है, पार्श्वमिक व माटामिक शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विधायियों को नियमानुसार भूतल, पटाम तल वा द्वितीय तल कहन क्षाए मंचालित हो सकती है जोसे बिंदुओं पर ऊका कियाज्वलन करवाने की भाँग की गई।



पार्श्वमिक माटामिक, हाईस्कूल, हाई सेकेडी, शासकीय-अशासकीय स्कूलों में स्कूल संचालन प्रतिदिन कितना समय लियारित है, पार्श्वमिक व माटामिक शासकीय एवं अशासकीय स्कूलों में सुरक्षा की दृष्टि से विधायियों को नियमानुसार भूतल, पटाम तल वा द्वितीय तल कहन क्षाए मंचालित हो सकती है जोसे बिंदुओं पर ऊका कियाज्वलन करवाने की भाँग की गई।

सुनवाई • राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच ने मामले सुने बेसहारा छोड़ गए बच्ची के पिता पर होगी एफआईआर

भास्तर संवाददाता | हरदा

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच ने शनिवार को पॉलीटेक्निक कॉलेज में बच्चों की समस्याएं सुनी। आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने अधिकारियों को समस्याओं के निर्देश दिए। हरदा क्षेत्र की एक गरीब बच्चे की मां का निधन हो गया। उसके पिता बच्ची को बेसहारा छोड़ गए। परिजनों के साथ पहुंची बच्ची की शिकायत पर अध्यक्ष ने तत्काल पुलिस को पिता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए। इस दौरान शहर के किराए के भवन में बने वन स्टॉप सेंटर में मां द्वारा तीन साल के बच्चे की नृशंस हत्या के मामले को बेंच ने संज्ञान में लिया। उन्होंने कहा कि मामले की जांच होगी। इस दौरान बेंच ने करीब 400 मामलों की सुनवाई की। कार्यक्रम में दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर प्रदान की

वन स्टॉप सेंटर में बच्चे की हत्या के मामले की होगी जांच



हरदा। बेंच में सुनवाई के दौरान आयोग के अध्यक्ष के साथ कलेक्टर व अन्य।

गई। मग्र बाल आयोग के सदस्य शर्मा, एसपी राजेश्वरी महोबिया, द्रविंद्र मोरे, कलेक्टर ऋषि गर्ग, महिला बाल विकास अधिकारी एसपी मनीष कुमार अग्रवाल, जिला पंचायत सीईओ राम कुमार आयोग अध्यक्ष कानूनगो ने

शर्मा, एसपी राजेश्वरी महोबिया, महिला बाल विकास अधिकारी संजय त्रिपाठी मौजूद थे।

आयोग अध्यक्ष कानूनगो ने बात कही।

मीडिया से चर्चा में कहा कि भोपाल के गतीबड़ थाना इलाके के एक प्रतिष्ठित निजी स्कूल की नसंरी की छात्रा से बस में हुए रेप के मामले में कहीं न कहीं प्रशासन की हिलाहवाली रही है। इसके कारण घटना हुई। हमें रिपोर्ट का इंतजार है। इसके बाद आगे के आदेश दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बच्चों के प्रति यौन उत्पीड़न, शोषण और पोनोग्राफी जैसे जघन्य अपराधों को रोकने के पांक्सो एक्ट दुनिया में सबसे सख्त एवं प्रभावी कानूनों में से है। समाज में पनप रहे पैशाचिक प्रवृत्ति के लिए मृत्यु दंड से कम ग्रावधान होना ही नहीं चाहिए। इस दौरान उन्होंने शहर के वन स्टॉप सेंटर में एक महिला के द्वारा अपने तीन साल के बेटे की हत्या के मामले में भी कार्रवाई की बात कही।

રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ કી બેંચ મેં 4 સૌ મામલોં મેં સુનવાઈ



હરદા, દેશબન્ધુ। રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ કે અધ્યક્ષ પ્રિયંક કાનૂનગો ને શનિવાર કો નગર મેં આયોગ કી બેંચ મેં બચ્ચોં સે સંબંધિત સમસ્યાએં સુનીં ઔર ઉનકે નિરાકરણ કે લિએ ઉપસ્થિત અધિકારિયોં કો નિર્દેશ દિએ। કાર્યક્રમ કા શુભારંભ માં સરસ્વતી કી પ્રતિમા પર માલ્યાર્પણ વ દીપ પ્રજ્વલિત કર કિયા ગયા। ઇસ અવસર પર ઉન્હોને બતાયા કિ આજાદી કે અમૃત મહોત્સવ કે તહેત દેશ કે 75 જિલોં મેં રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ સંબંધિત પ્રદેશ કે રાજ્ય બાળ આયોગ કે સાથ બેંચ કા આયોજન કર બચ્ચોં સે જુડે મામલોં મેં સુનવાઈ કર રહા હૈ। કાર્યક્રમ મેં મધ્ય પ્રદેશ રાજ્ય બાળ આયોગ કે સદસ્ય દ્રવિંદ્ર મોરે ભી ઉપસ્થિત થે। ઇસ અવસર પર બચ્ચોં સે સંબંધિત લગભગ 400 પ્રકરણોં મેં આયોગ ને સુનવાઈ કી। કાર્યક્રમ મેં દિવ્યાંગ બચ્ચોં કો વ્હીલ ચેયર ઔર

અન્ય આવશ્યક ઉપકરણ વિતરિત કિએ ગએ। ઇસ અવસર પર કલેક્ટર ઋષિ ગર્ગ ને સંબોધિત કરતે હુએ કહા કિ રાષ્ટ્રીય બાળ અધિકાર સંરક્ષણ આયોગ કી બેંચ કે આયોજન સે બચ્ચોં સે જુડે મામલોં મેં ત્વરિત કાર્યવાઈ હો રહી હૈ, ઔર બચ્ચોં કી સમસ્યાઓં કા મૌકે પર હી નિરાકરણ કિયા જા રહા હૈ। ઉન્હોને નગર મેં આયોગ કી બેંચ આયોજન કે લિએ આયોગ કા આભાર પ્રકટ કિયા।

ઇસ દૌરાન અપર કલેક્ટર જેપી સૈયામ, જિલા પંચાયત કે મુખ્ય કાર્યપાલન અધિકારી રામ કુમાર શર્મા, જિલા કાર્યક્રમ અધિકારી મહિલા એવં બાળ વિકાસ વિભાગ સંજય ત્રિપાઠી વ અન્ય વિભાગોં કે અધિકારી ભી મૌજૂદ થે। ઇસ દૌરાન આયોગ કે અધ્યક્ષ કાનૂનગો ને પોષણ માહ મેં આયોજિત રૈલી કો હરી ઝાંડી દિખાકર રવાના કિયા। ઉન્હોને કાર્યક્રમ સ્થળ પર લગાઈ ગઈ પોષણ પ્રદર્શની કા અવલોકન ભી કિયા।